निर्णय ब इजलास अन्तर सिह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 119/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. हमीद खां पुत्र श्री अली खां जाति मुसलमान निवासी ताला, चंदवाजी, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये सहायक लोक अभियोजक जयपुर, जिला जयपुर ।
2. अब्दुल सत्तार पुत्र अलादीन जाति मुसलमान निवासी चांदावास, थाना चंदवाजी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

अन्तरण प्रार्थना न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन पत्रावली संख्या 3/2020 ब उनवानी सरकार बनाम अब्दुल सत्तार व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री संजय शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री ओम प्रकाश शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 02.03.2021.

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन पत्रावली संख्या 3/2020 ब उनवानी सरकार बनाम अब्दुल सत्तार व अन्य किस्म धारा 145 सी आर पी सी में पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रकरण में अब्दुल सत्तार एक धनी एवं बलवान व्यक्ति है तथा राजनैतिक प्रभाव भी रखता है। उक्त अब्दुल सत्तार ने ही प्रार्थी हमीद खां की लगभग 25 वर्ष पूर्व खरीद की गई एवं कब्जे शुदा दुकान पर अवैद्य रूप से कब्जा करने का प्रयास किया है तथा प्रार्थी हमीद की दुकान पर विगत 20 वर्षो से रह रहे किरायेदार को भगा दिया है जिसकी रिपोर्ट संख्या 292/2020 पुलिस थाना चंदवाजी में दर्ज होने के पश्चात पुलिस द्वारा शान्ति भंग ना हो इसलिए दुकानों को बंद करा दिया गया है। अधीनस्थ उपखण्ड मजिस्ट्रेट जमवारामगढ के समक्ष प्रस्तुत धारा 145 सी आर पी सी की कार्यवाही में अप्रार्थी अब्दुल सत्तार द्वारा दिनांक

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned by CamScanner

11.11.2020 को उपस्थित होकर प्रारम्भिक विधिक आपत्तियां पेश की गई, जिसकी प्रति प्रार्थी हमीद खां को दिलावाने के पश्चात स्पष्टीकरण दिये जाने हेतु कहा गया, जबकि अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अब्दुल सत्तार द्वारा पेश उक्त विधिक आपत्ति का कोई औचित्य आधार नही है। अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रारम्भिक विधिक आपत्तियों का स्पष्टीकरण/जबाब हेतु प्रार्थी हमीद के बीमार होने व 75 वर्षीय वृद्व व्यक्ति होने तथा प्रार्थी की दुकानों पर अवैद्य रूप से कब्जा करने का प्रयास करने की घटना दिनांक 22.8.2020 की प्रथम सूचना रिर्पाट संख्या 292/2020 की चालान की प्रति माननीय सिविल व फौजदारी न्यायालय में शीतकालीन अवकाश के कारण प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त नहीं होने के तथ्य अंकित करते हुये 10 दिन का समय चाहा गया तो माननीय अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 28.12.2020 को प्रार्थी हमीद खां के उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई विचार किये बिना जबाब का अवसर बन्द कर दिया एवं प्रकरण को 3 दिन बाद ही दिनांक 31.12.2020 को अन्तिम निस्तारण हेतु रख दिया। यहां तक की प्रकरण मे साक्ष्य व गवाह पेश करने का कोई भी अवसर नहीं दिया जा रहा है। वैसे भी केरोना महामारी के फैलाव के मध्य नजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के दिशा निर्देश एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी की जा रही है जबकि प्रार्थी हमीद खां के उक्त लिखित प्रार्थना पत्र में युक्ति युक्त कारण अंकित करते हुये समय चाहा गया है। प्रार्थी को इस बात का डर है कि प्रार्थी को उक्त प्रकरण में न्याय मिलने की अब कोई उम्मीद नहीं रह जाती है। इसलिए भी प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी अब्दुल सत्तार अपने राजनैतिक प्रभाव व दबाव से प्रकरण का निपटारा 3 दिन में पीठासीन अधिकारी से करवा लेने की बात भी गांव में कहता फिर रहा है तथा दुकान अब्दुल सत्तार द्वारा खोले जाने की बात कहता रहता है तथा हमीद खां को उसकी खरीद शुदा कब्जेशुदा दुकान से बेदखल करने की बात भी कहता रहता है । प्रार्थी हमीद खां के मन मे इस बात का पूर्ण डर बना हुआ है कि प्रार्थी को न्याय नहीं मिलेगा । प्राकृतिक न्याय का सिद्वान्त है कि न्याय होता दिखना भी चाहिए। ऐसी स्थिति में मुकदमें को सुनवाई हेतु अन्य सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित करना न्यायेचित है। अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी हमीद खां के तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुये राजनैतिक दबाव में कार्य किया जा रहा है तथा प्रार्थी हमीद खां का धारा 145 सी आर पी सी की कार्यवाही में स्पष्टीकरण व जबाव बंद कर प्रकरण का अन्तिम निस्तारण दिनांक 31.12.2020 को करने का आदेश पारित कर दिया जिससे यह बखूबी स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से प्रकरण में न्याय की उम्मीद नही रह जाती है उपखण्ड मजिस्ट्रेट जमवारामगढ अप्रार्थी अब्दुल सत्तार को दुकानो का कब्जा दिलवाने को उतारू है । इस प्रकार प्रार्थी को उक्त तथ्यों के मध्य नजर अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नही है। अतः उक्त प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जमवारामगढ से किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

जिला कलक्टर जयपुर

5. अप्रार्थी के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र महज प्रकरण को लम्बा करने की नियत से गलत तथ्य अंकित करके प्रस्तुत किया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

Scanned by CamScanner

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने प्रकरण में जबाब व दस्तावेज प्रस्तुत करने का उचित अवसर नहीं दिया जाने का कथन कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट जमवारामगढ ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि दिनांक 27.11.2020, 7.12.2020, 14.12.2020 एवं 28.12.2020 की तारीख पेशी जबाब हेतु नियत की गई, किन्तु प्रार्थी को तीन अवसर दिये जाने के बावजूद भी आपत्ति का जबाब पेश नहीं किया है। प्रकरण में उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने से परिलक्षित होता है कि सीपीसी के प्रावधान एवं कोविड महामारी के दौरान पक्षकारान को जबाब व दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु न्याय हित में और समय दिया जा सकता है। इसी निर्देश के साथ प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट जमवारामगढ को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई, जबाब एवं साक्ष्य–दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जावे तथा प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

2/3/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner